रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 1995/माघ 12, 1916
No. 36] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 1995/MAGHA 12, 1916

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 48 (अ):—उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 31 की उपधारा (2) के साथ पठित अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए निम्नलिखित आदेश को एतद्द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, जैसा कि उक्त प्रावधानों में अपेक्षित है यानी :—

गुवाहाटी उच्च न्यायालय (शिलांग में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना), आदेश, 1995

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 31 की उपधारा (2) के साथ पठित अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मेघालय के राज्यपाल के साथ परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश देते हैं, यथा:—

1. संक्षिप्त शीर्ष तथा लागू करने की तारीख.—(1) इस आदेश को गुवाहाटी उच्च न्यायालय (शिलांग में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) आदेश, 1995 कहा जाएगा।

(2) यह 4 फरवरी, 1995 से प्रवृत्त होगा।

2. शिलांग में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना.—शिलांग में गुवाहाटी उच्च न्यायालयय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना की जाएगी तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो संख्या में दो से कम नहीं होंगे, जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर नामित करेंगे, मेघालय राज्य के मामलों के संबंध में फिलहाल गुवाहाटी उच्च न्यायालय में निहित कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शिलांग में कार्य करेंगे:—

बशर्ते कि उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश देते हैं कि मेघालय में उद्भूत कोई मामला या मामलों की किसी श्रेणी की गुवाहाटी में सुनवाई की जाएगी।

हृ०/-

शंकर दयाल शर्मा

राष्ट्रपति,

[फा. सं. के–11018/1/95–यू.एस–1]

एम. पी. सिंह, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, 1 फरवरी 1995

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1995

G.S.R. 48(E).—The following Order made by the President under sub-section (2) of section 24 of the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), read with sub-section (2) of section 31 of the North-Eastern Areas

(Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), is hereby published as required by the said provisions, namely :—

THE GAUHATI HIGH COURT (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT SHILLONG) ORDER, 1995.

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 24 of the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), read with sub-section (2) of section 31 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), the President, after consultation with the Chief Justice of the Gauhati High Court and the Governor of Meghalaya, is pleased to make the following Order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Gauhati High Court (Establishment of a Permanent Bench at Shillong) Order, 1995.

(2) It shall come into force on the 4th day of February, 1995.

2. Establishment of a permanent Bench of Gauhati High Court at Shillong—There shall be established a permanent Bench of the Gauhati High Court at Shillong, and such Judges of the Gauhati High Court, being not less than two in number, as the Cheif Justice of that High Court may, from time to time nominate, shall sit at Shillong in order to exercise the Jurisdiction and powers for the time being vested in the Gauhati High Court in respect of cases arising in the State of Meghalaya :

Provided that the Chief Justice of that High Court may, in his discretion, order that any case or class of cases arising in the State of Meghalaya shall be heard at Gauhati.

New Delhi, 1st February, 1995

Sd/-
SHANKER DAYAL SHARMA
PRESIDENT

[F. No. K-11018/1/95-US-I]
M. P. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995